राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2193/2024

अमर सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, कारागार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.07.2024
आदेश की दिनांक : 02.12.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री अशोक वर्मा, ओआईसी

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति दिनांक 29.02.2024 से समस्त सेवानिवृत्ति लाभ जैसे ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान आदि प्रदान किया जावे एवं पेंशन नियम के नियम 89 के अंतर्गत ब्याज का भुगतान भी किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रहरी के पद पर हुई थी और उसे आदेश दिनांक 09.08.2007 के द्वारा मुख्य प्रहरी एवं आदेश दिनांक 13.08.2014 के द्वारा सहायक कारापाल के पद पर पदोन्नत किया गया और दिनांक 06.11.2017 को उप कारापाल के पद पर पदोन्नति दी गई तथा आदेश दिनांक 31.03.2019 को कारापाल के पद पर पदोन्नत किया गया और दिनांक 29.02.2024 को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर अपीलार्थी राजकीय

सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। अपीलार्थी का पूरा सेवा काल हमेशा संतोषजनक रहा है। परंतु सेवानिवृत्ति पश्चात् अपीलार्थी को अभी तक सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान नहीं किये गये हैं। उसे विभाग द्वारा बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। अपीलार्थी की पत्नी ब्रेस्ट कैंसर से पीडित है और पेंशन जारी नहीं होने से अपीलार्थी परेशान है। राजस्थान पेंशन नियम, 1996 के अंतर्गत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पश्चात् समस्त लाभ दिये जाने चाहिये। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अनेकोबार अभ्यावेदन प्रस्तुत किये, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। पेंशन नियम के नियम 89 में यह प्रावधान है कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से 60 दिवस की अवधि में सेवानिवृत्ति संबंधित लाभ आदि दिये जाने चाहिये। परंतु अपीलार्थी को अभी तक कोई लाभ नहीं दिया गया है, जो उक्त नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति दिनांक 29.02.2024 से समस्त सेवानिवृत्ति लाभ जैसे ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान आदि प्रदान किया जावे एवं पेंशन नियम के नियम 89 के अंतर्गत ब्याज का भुगतान भी किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से ओआईसी ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास पर पदस्थापन के दौरान बंदियों की जेल सेवा मजदूरी भुगतान की राशि बंदियो के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के बैंक खातो में गलत तरीके से जमा कराये जाने एवं राजकोष को वित्तीय हानि होने से संबंधित प्रकरण की विभागीय प्रारंभिक जांच में कार्मिक को दोषी माना गया है। उक्त प्रकरण में बंदी पूरणमल के विरूद्ध पुलिस थाना, पापडदा जिला दौसा में एफआईआर संख्या 0031 दिनांक 09.10.2022 को दर्ज करवायी गई, जो अभी तक जेर तफ्तीश है और अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण में विभागीय कार्यवाही प्रस्ताव पत्र गृह विभाग को भिजवाये गये हैं, जिसके कारण अपीलार्थी को बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है और इस प्रकार बिना नोड्यूज जारी हुये कार्मिक को पेंशन स्वीकृत नहीं की जा सकती है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत करते हुये यह बहस की है कि अपीलार्थी को बंदियों की जेल सेवा मजदूरी भुगतान की राशि बंदियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में गलत तरीके से जमा

कराये जाने एवं राजकोष को वित्तीय हानि होने से संबंधित प्रकरण की प्राथमिक जांच में कार्मिक को दोषी माना गया है और जबकि प्रत्यर्थी विभाग ने स्वयं स्वीकार किया है कि बंदी पूरणमल के विरूद्ध पुलिस थाना पापडदा में एफआईआर दर्ज करवायी गई है। इस प्रकार यह कथन गलत है कि इस आधार पर बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। बंदी पूरणमल से गहन पूछताछ की गई और पूरणमल ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुये यह राशि वापिस लौटाने की बात कही। कुटरचित आदेशों पर जिन कारापालों ने बिल भुगतान आदेश प्रमाणीकरण किया गया था, उनको राशि वसूलने एवं जमा कराने हेतु आदेशित किया गया था और इस प्रकार श्री कालूराम एवं श्री मुंशी राम द्वारा भुगतान आदेशों की राशि को राजकोष में जमा करा दिया गया और अपीलार्थी द्वारा प्रमाणित किये गये भुगतान आदेशों की राशि की किस्तो में भुगतान करने के लिये लिखित में निवेदन किया गया और नियमानुसार राशि रूपये 1,30,554 की वसूली पूर्ण होने तक अपीलार्थी के वेतन से कटौती के आदेश प्रसारित किये गये तथा उक्त राशि की वसूली भी की जा चुकी है। इस प्रकार कारापाल, उप कारापाल श्री मुंशीराम एवं श्री कालूराम ने जमा करवा दी तथा मुंशीराम राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया और राशि जमा कराने के आधार पर समस्त सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान कर दिये गये। परंतु अपीलार्थी को अभी तक कोई सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान नहीं किये गये हैं, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रहरी के पद पर हुई थी और उसे आदेश दिनांक 09.08.2007 के द्वारा मुख्य प्रहरी एवं आदेश दिनांक 13.08.2014 के द्वारा सहायक कारापाल के पद पर पदोन्नत किया गया और दिनांक 06.11.2017 को उप कारापाल के पद पर पदोन्नति दी गई तथा आदेश दिनांक 31.03.2019 को कारापाल के पद पर पदोन्नत किया गया और दिनांक 29.02.2024 को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर अपीलार्थी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। अपीलार्थी का पूरा सेवा काल हमेशा संतोषजनक रहा है। परंतु सेवानिवृत्ति पश्चात् अपीलार्थी को अभी तक सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान नहीं किये गये हैं। उसे विभाग द्वारा बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। जहां तक अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति पश्चात्

सेवानिवृत्ति लाभ आदि प्रदान नहीं किये जाने तथा बकाया शेष राशि का प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जी.ए. 55ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से उक्त राशि वसूल कर ली गई है, उसके उपरांत भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बकाया शेष राशि का प्रमाण पत्र विभाग द्वारा जारी नहीं किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है। चूंकि अपीलार्थी के समान अन्य कार्मिक श्री मुंशीराम जिसके विरूद्ध आदेश के द्वारा जो राशि वसूल किये जाने का आदेश जारी किया गया था। उसके अनुसार प्रार्थी श्री मुंशीराम मीणा से राशि वसूल किये जाने पश्चात् उसके सेवानिवृत्त होने पर उसे समस्त सेवानिवृत्ति लाभ आदि प्रदान कर दिये गये हैं। जबकि अपीलार्थी के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जो नियम विरूद्ध है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा भी निर्धारित की गई राशि की प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वसूल की जा चुकी है और तदुपरांत प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाना नियम विरूद्ध है। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि जिस तरह कार्मिक श्री मुंशीराम मीणा का समस्त सेवानिवृत्ति लाभ आदि भुगतान किये गये हैं, उसी तरह अपीलार्थी को भी नियमानुसार समस्त सेवानिवृत्ति लाभ अविलम्ब प्रदान किये जावें एवं राजस्थान पेंशन नियम, 1996 के नियम 89 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान आदि में हुये विलम्ब में उक्त नियम के अंतर्गत अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति लाभ दिये जाने में विलम्ब अवधि का ब्याज भी भुगतान किया जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)